२६। ए.के. २००५

झारखण्ड सरकार

कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संकल्प

विषयः झारखण्ड खेलनीति 2007

झारखण्ड खेल नीति–07 का लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नरूप से खेल नीति को अनुमोदित किया है:–

प्रस्तावनाः

1. झारखंड राज्य के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन में खेलकूद के मौलिक महत्व को मान्यता देता है, अतः इसके चहुंमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है।

2. राज्य इस विषय में भी भिज्ञ है कि 15 नवम्बर 2000 के पूर्व अविभाजित बिहार के उस क्षेत्र में अधिकांश खेल खेले जाते थे, जिसे आज झारखंड के रूप में जाना जाता है । इसको ध्यान में रखते हुए राज्य पूर्व के लाभों को सुदृढ़ करते हुए तीव्रतर विकास हेतु आधारशिला रखना चाहती है ।

दृष्टिः

3. झारखण्ड सरकार खेल के क्षेत्र में सम्पूर्ण संभाव्य शक्ति प्राप्ति के परिदृश्य की कल्पना करती है जहां राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता की स्थिति होगी । इस संभाव्य शक्ति को वास्तविकता में बदलने हेतु सरकार अनुकूल वातावरण निर्माण एवं लोकहित साधक संस्कृति के निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्पित है, जहां यह खेल, खिलाड़ियों एवं खेल संरचना में पर्याप्त निवेश करेगी। ऐसी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चय के साथ यह राज्य यह विश्वास रखता है कि वह राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठता प्राप्त करने के अपने ध्येय को शीघ्र प्राप्त कर लेगा ।

उद्देश्य/लक्ष्यः

4.
   1. खेल को व्यापक बनाना अर्थात् **सभी के लिये खेल** ।
   2. खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्राप्त करना ।
   3. माध्यमिक स्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में खेल विषय को समाहित करना ।
   4. खेल क्षेत्र की उपलब्धियों को गरिमायुक्त रोजगार से जोड़ना ।
   5. मित्रता के महत्व, आत्मविश्वास, सद्व्यवहार एवं गरिमा को आत्मसात् करने के साथ–साथ प्रवाहयमान युवा शक्ति को खेल एवं शारीरिक समृद्धि के निमित्त प्रभावी वातावरण तैयार करने में उपयोग करना ।

6. सुव्यवस्थित एवं सुसंगत ढंग से प्रतिभा का चयन एवं उस प्रतिभा को पूर्ण विकसित होने में सहयोग करना ।

7. विकलांग व्यक्तियों को विशेष छूट प्रदान करना ताकि वह खेल एवं युवा कार्यकलापों में भाग लेने योग्य बन सकें ।

8. देशज एवं पारम्परिक खेलों को प्रोत्साहन देना ताकि खेल की परिसीमा को बढ़ाते हुए सारे झारखंड में विस्तारित किया जाये ।

झारखण्ड सरकार झारखंड ओलिम्पिक संघ एवं राज्य के अन्य खेल संघों के सहयोग से उपर्युक्त उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेगी, विशेषकर खेल को विस्तृत आयाम देने एवं राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्टीय स्तर पर उत्कर्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए। खेलों, जिसमें राज्य को संभाव्य शक्ति एवं प्रतिस्पर्द्धा में लाभप्रद स्थिति प्राप्त है, को उत्साहपूर्वक बढ़ावा देना आवश्यक है । उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ अधिक प्रभावशाली ढंग से जोड़ा जायेगा । जहां खेल का विस्तार मूलतः शिक्षा एवं खेल विभाग की संयुक्त जिम्मेवारी होगी, खेल विभाग इन प्रयासों के अतिरिक्त पूरक प्रयास करेगा। **ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र** की छिपी हुई प्रतिभा की खोज के लिए राज्य सरकार, झारखंड ओलिम्पिक संघ एवं राज्य खेल संघों के सहयोग से विशेष प्रयत्न करेगी, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठता प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति विशेष ध्यान देगी ।

<u>खेल क्षेत्र का विस्तारः</u>

5. युवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना भरने में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए खेल क्षेत्र के विस्तार का उद्देश्य, इसे सर्वव्यापी बनाने एवं खेल में जनसमूह की भागीदारी के दृष्टिकोण से विशेष महत्व प्राप्त कर लेता है । इस कार्यक्रम से पूरे राज्य के शैक्षणिक संस्थानों विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज/स्थानीय निकायों, सरकारी तंत्र खेल संघो, औद्योगिक उपक्रमों, विभिन्न युवा एवं खेल क्लबों (नेहरू युवा केन्द्र सहित) का जुड़ाव सुनिश्चित करना है । खेल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी किये जायेंगे । राज्य में खेल के तीव्र विकास के लिये राज्य सरकार एवं खेल संघ, **"क्लब संस्कृति"** को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी ।

6. **झारखंड खेल नीतिः** 2007 में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के विकास के लिये उपलब्ध प्रतिभाओं एवं क्षमता को उजागर करने को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी । इस संदर्भ में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तथा ग्रामीण युवा एवं खेल क्लबों हेतु आवश्यक खेल संरचना के विकास तथा प्रतिभा के विकास के लिए एक सम्यक् प्रतियोगिता ग्रामीण, **कठिन तथा दूरस्थ, क्षेत्रों** में कराई जायेगी । हॉकी, लम्बी दूरी की दौड़ तथा तीरंदाजी में **जनजातीय क्षेत्र** में प्रतिभाओं को तलाशने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे । वर्तमान में उपलब्ध प्रतिभाओं को सम्यक्

मदद तथा क्रियाशील समर्थन दिया जायेगा । भौगोलिक रूप से असुविधाजनक क्षेत्रों में खेल के विकास के लिए अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जायेगा। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में सदियों से **देशज एवं पारंपरिक खेलों** की परम्परा रही है अतः देशज खेलों में ग्रामीण खेलों से संबंधित विशेष योजनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

<u>खेल में श्रेष्ठता:</u>

7. राज्य सरकार ग्रामीण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में श्रेष्ठता प्राप्त करने के प्रति ध्यान केन्द्रित करेगी । प्रमाणित क्षमता, लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न खेलों की प्राथमिकता तय की जायेगी । प्राथमिकता वाले खेलों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा एवं इस प्राथमिकता की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी । झारखंड ओलिंपिक संघ एवं राज्य सरकार भी ऐसे खेलों के विकास को प्राथमिकता देगी। विभिन्न खेलों के विकास की योजनाएँ बनाने में आनुवंशिक एवं विकास की संभावना वाले भौगोलिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जायेगा जिससे खेलों की क्षमता वाले क्षेत्र में विद्यमान एवं उदीयमान प्रतिभाओं के विकास हेतु समय पर आवश्यक कदम उठाये जा सकें। विशिष्ट खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण हेतु **उत्कृष्ट केन्द्र** जिसमें खेल अकादमी शामिल हैं, और जहां युवा एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सकेगा, स्थापित किये जायेंगे ।

<u>शिक्षा के साथ जुड़ाव:</u>

8. खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने एवं उसे अध्ययन हेतु माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य शैक्षणिक विषय बनाने एवं इसे विद्यार्थियों के मूल्यांकन में शामिल करने हेतु सक्रिय प्रयास किये जायेंगे । राज्य तंदरूस्ती कार्यक्रम राज्य के प्रत्येक विद्यालय में प्रारंभ किया जायेगा । नई संरचनाओं की उपलब्धता में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे, जिनमें खेल मैदान/खेल सामग्री एवं शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक उपलब्ध कराने एवं उनमें विभिन्न खेल हेतु चयनित शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है । विशेषज्ञ खेल विद्यालय भी स्थापित किये जायेंगे । राज्य एवं जिला स्तर पर अंतर विद्यालय एवं अंतर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं की उचित व्यवस्था की जायेगी । राज्य के सभी उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा में D.P.Ed. योग्यधारी शारीरिक शिक्षकों की पदस्थापना का प्रयास किया जायेगा, जबकि मध्य विद्यालयों में कम से कम एक शिक्षक को शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया जायगा ।

(531) (~~44~~)

खिलाड़ियों को प्रोत्साहनः

9. लब्ध प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को उनके खेल जीवन एवं उसके पश्चात् मान्यता दिलाने एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने एवं युवाओं को खेल कार्य के क्षेत्र में गंभीरता से भाग लेने हेतु प्रेरित करना प्रोत्साहन के अन्तर्गत आता है । इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार बीमा सुरक्षा एवं चिकित्सा सुविधा हेतु पर्याप्त सहायता प्रदान की जायेगी। खिलाड़ियों के लिये नियुक्ति में आरक्षण का वर्त्तमान प्रावधान कायम रहेगा । वस्तुतः राज्य सरकार सभी नियुक्तियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था नई नीति में लागू कर रही है। आरक्षित पदों पर खेलों में उपलब्धि एवं पदों की न्यूनतम अर्हता के मद्देनजर रखते हुए सीधी नियुक्ति की व्यवस्था की जाएगी । रक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए खेलों में उपलब्धि के निम्न मानक निर्धारित किया जाता है:–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि	सीधी नियुक्ति के पदों की श्रेणी
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक कमीटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता ।	मेडल	श्रेणी–II (उदाहरण स्वरूप उप आरक्षी अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, सहायक निदेशक (खेल) इत्यादि)
(ii) भारतीय ओलिम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान	
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड	
(i) भारतीय ओलिम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ।	द्वितीय/तृतीय स्थान	श्रेणी–III (उदाहरण स्वरूप आरक्षी निरीक्षक, अवर आरक्षी निरीक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, जिला खेल पदाधिकारी, खेल प्रशिक्षक इत्यादि)
(ii) झारखण्ड ओलिम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप ।	प्रथम स्थान	

(iii) राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी ।	राष्ट्रीय रिकार्ड	
झारखण्ड ओलिम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप ।	द्वितीय/तृतीय स्थान	श्रेणी–IV (उदाहरण स्वरूप सिपाही, वनरक्षी इत्यादि)

नियुक्तियों में अनारक्षित पदों पर राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

10. सामाजिक मान्यता, राज्य एवं जिला स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान करना, नगद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन एवं रोजगार का अवसर प्रदान करना राज्य खेल नीति 2007 का प्रमुख अंग है । खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षक, निर्णायक एवं रेफरी को उनके विधा में दक्षता प्राप्त करने एवं अनुभव बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

11. राज्य सरकार यह प्रयास करेगी की खिलाड़ियों के लिये निर्धारित आरक्षण निति सभी विभागों एवं सभी गैर सराकरी संस्थानों जिनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती हो में कड़ाई से लागू की जाए।

12. राज्य सरकार यह प्रयास करेगी की खिलाड़ियों को यथा सम्भव सदभावना अंक (ग्रेस मार्क) दिया जाए ताकि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/व्यावसायिक संस्थानों में उनको प्रवेश मिल सकें।

13. झारखण्ड राज्य के भौगोलिक स्थिति एवं वंशानुगत (जेनेटिक) स्थिति के मद्देनजर राज्य यह प्रयास करेगी की आरक्षी विभाग एवं वन विभाग तथा ऐसी अन्य विभागों में अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों को नियुक्ति के मामले में निर्धारित उच्चता (हाईट) को और कम की जाए ताकि प्रसिद्ध खिलाड़ियों को नियुक्ति मिल सके।

संरचना विकासः

14. खेल के व्यापक विस्तार एवं विकास हेतु सम्पूर्ण राज्य में पर्याप्त खेल सुविधा उपलब्ध होना नितांत आवश्यक है । राज्य सरकार के अतिरिक्त पंचायती राज्य संस्थाओं, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, खेल संगठनों, क्लब एवं औद्योगिक उपक्रमों का सहयोग, खेल संरचना का निर्माण, उपयोग एवं सम्यक् देख–रेख में लिया जायेगा । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध खेल मैदानों एवं स्टेडियमों का रख–रखाव मात्र खेल के उद्देश्य से किया जायेगा एवं खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों, शहरों, कॉलोनियों में खाली जमीन की व्यवस्था हेतु जरूरी कानून तैयार कराया जायेगा । न्यूनतम विनिवेश से अधिकतम लाभ

प्राप्ति के उद्देश्य से सरकारी विभागों एवं अन्य एजेन्सी (अभिकरण) द्वारा न्यूनतम दर पर कार्यशील एवं पर्यावरण सहयोगी डिजाइनों के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । उपलब्ध संरचनाओं एवं मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग हेतु प्रयास किया जायेगा । अवकाश के दौरान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सघन प्रशिक्षण हेतु विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे, यद्यपि यह उनकी पढ़ाई में बाधक नहीं बनेगा ।

15. राज्य सरकार ने रांची में अत्याधुनिक वृहत् खेल परिसर के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रमंडल, जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर विभिन्न खेलों हेतु उपयुक्त स्टेडियम निर्माण की योजना कार्यान्वित करायी जा रही है । राज्य सरकार खेल से इतर विभागों की योजनाओं/निधियों को भी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खेल संरचनाओं के विकास एवं अन्य खेल गतिविधियों में उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी । इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार झारखण्ड ओलिम्पिक संघ के साथ मिलकर राष्ट्रीय खेलः 2007 के आयोजन हेतु प्रयत्नशील है ।

16. साहस/जोखिम भरा स्पर्द्धाओं के सम्भाव्य (पोटेनसिअल) एवं प्राप्त सफलताओं को ध्यान में रखते हुए इन स्पर्द्धाओं के विकास के लिये राज्य सरकार प्रयास करेगी एवं इस हेतु आवश्यक संसाधनों के विकास के लिये संबंधित विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

<u>खेल सामग्रीः</u>

17. उत्तम गुणवत्ता युक्त खेल सामग्री की उपलब्धता एवं निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । सामग्रियों के आयात की नीति में देशज खेल सामग्री निर्माताओं के हित का ध्यान रखा जायेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के कच्चे माल एवं तैयार सामग्री के आयात को बढ़ावा दिया जायेगा । राज्य के अंदर खेल के कच्चे माल एवं तैयार सामग्री के आवागमन एवं खेल सामग्री को वाणिज्य कर से मुक्त कराने हेतु प्रयास किया जायेगा ।

<u>राज्य खेल संघः</u>

18. यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य में खेल का प्रबन्धन एवं विकास झारखंड ओलिम्पिक संघ एवं अन्य राष्ट्र खेल संघों, जो स्वायत संस्थाएँ हैं, एवं जिनसे जिला स्तर के खेल संघ सम्बद्ध है, के कार्य है । अतः सरकार संबद्ध अभिकरणों एवं संघों से मिलकर सामंजस्य के साथ मित्रवत् राज्य खेल नीतिः 2007 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उन्मुख होगी । साथ ही साथ झारखंड में खेल संघ एवं अन्य ओलिंपिक खेल संघों को परिणामों की उपलब्धि की उन्मुखता दर्शानी होगी एवं स्पष्ट प्रगति सुनिश्चित करनी होगी जिसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेल संस्थाओं से विमर्श कर आदर्श नियमावली/संगठनात्मक संरचना का निर्माण

करना होगा, (ओलिम्पिक अधिकार पत्र का सम्मान करते हुए) जिससे खेल संघों के कार्य में पारदर्शिता, व्यावसायिक रूख एवं जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा सके।

19. प्रतियोगी भावना तथा प्रतिभा प्रोत्साहन के विकास के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशीप में भागीदारी के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेल संघ प्रत्येक वर्ग (कैटेगरी) यथा सीनियर, जूनियर तथा सब – जूनियर (महिला एवं पुरूष) में वार्षिक चैम्पियनशीप जिला और राज्य स्तर पर करायेंगे। प्रत्येक जिला संघ प्रचुर समय रहते हुए वार्षिक खेल पंचाग प्रतिवर्ष निर्धारित करेंगे, जो झारखण्ड ओलिम्पिक संघ द्वारा संग्रहित कर प्रकाशित कराया जायेगा। जूनियर और सब–जूनियर स्तर के खेलों के प्रोत्साहन और विकास पर अधिक बल दिया जायेगा तथा उनमें से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित कर विशेष प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान किया जायेगा।

20. राष्ट्रीय आयोजनों विशेष कर ओलिम्पिक संघ, राष्ट्रमण्डल तथा राष्ट्रीय खेलों में, प्रभावशाली प्रतिभागिता सम्मान की बात है। इन आयोजनों में सहभागिता अबतक अधिकतर सिर्फ उन खेलों तक सीमित थी, जिनमें प्रभावशाली प्रदर्शन की अपेक्षा रहती थी। राज्य स्तरीय एवं अन्य प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व ऐसे आयोजनों में करने वाले दलों का चयन उनके प्रदर्शन एवं संभावनाओं को देखते हुए किया जाना चाहिए। दीर्घकालीन विकास योजनाओं की तैयारी प्रत्येक खेल के लिए की जायेगी, जिनमें प्रदर्शन का प्रत्याशित स्तर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सहभागिता, खेल आदान–प्रदान, वैज्ञानिक सहयोग तथा राज्य में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन आदि का ध्यान रखा जायेगा। दीर्घकालीन विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी तथा इन्हें वर्ष–दर–वर्ष जारी रखा जायेगा। सरकारी सहायता प्रसंगाधीन दीर्घकालीन विकास योजनाओं की उपलब्धियों के आधार पर विमुक्त होगी।

21. राज्य सरकार प्रत्येक खेल स्पर्द्धा के लिये मात्र एक संघ को मान्यता देगी जो राज्य ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त की हो। मात्र देशी खेल (ईन्डिजेनस खेल) नहीं होने के मामले में ऐसी खेल संघों को मान्यता दी जाएगी जो उस खेल के भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फेडरेसन से संबंधता प्राप्त की हो।

खिलाड़ियों को वैज्ञानिक सहायता :

22. खेलों में वैज्ञानिक उपादानों का महत्व सर्वविदित है। इस प्रक्षेत्र को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप सुदृढ़ किया जायेगा। अनवरत आधार पर विशेषज्ञों को प्रत्येक खेल अथवा खेल–समूहों से संबद्ध किया जायेगा जो आहार, मनोविज्ञान, चिकित्सा, औषधि विज्ञान, शारीरिकी, बायोमेकेनिक्स, एन्थ्रोपोमेटिक्स तथा खेल विज्ञान की

अन्य शाखाओं से संबंधित आवश्यक सहयोग उपलब्ध करायेंगे। मैदान एवं प्रयोगशाला अर्थात् खेल प्रशिक्षक एवं खेल वैज्ञानिक में, आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक क्रियाविधि अपनायी जायेगी जिससे खिलाड़ियें में स्वास्थ्य तथा प्रतियोगितात्मक भावना बनी रहे।

23. खेल के विकास के लिये तथा उभरते हुए खिलाड़ियों को विशेष कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक शोध एवं विकास के उपाय किये जायेंगे जिससे ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य प्रतिष्ठापूर्ण प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकें। ऐसे शोध एवं विकास कार्यक्रमों में झारखण्ड ओलिम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, झारखण्ड खेल प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं को शामिल किया जायेगा। राज्य के विभिन्न खेल संघ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु अंतः–संरचना के आधुनिकीकरण तथा खिलाड़ियों को खेल में उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक अनुदान हेतु समेकित कार्रवाई करेंगे।

<u>खेल पोषाहार तथा खेल पुस्तकालय :</u>

24. पोषाहार तथा खेल प्रदर्शन के स्तर के बीच सीधा संबंध अच्छी तरह से स्थापित है। अतः खेलों के लिए वैज्ञानिक रूप से निर्धारित पोषाहार का इष्टतम स्तर खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

25. खिलाड़ियों तथा खेल वैज्ञानिकों को आधुनिक तकनीक तथा आधुनिक शोध का लाभ प्राप्त कराने के लिए एक केन्द्रीय खेल पुस्तकालय तथा जिला खेल पुस्तकालयों का जाल स्थापित किया जायेगा।

<u>खेल प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, निर्णायकों, रेफरी तथा अम्पायर्स का प्रशिक्षण एवं विकासः</u>

26. यह नीति राज्य में प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक सहयोग के स्तर के महत्व पर ध्यान देती है और अम्पायर, निर्णायक, रेफरी के स्तर को उत्क्रमित करने की आवश्यकता समझती है। खेल प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, निर्णायकों, रेफरीज और अम्पायर्स को अंतराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे। सांस्थिक आधार पर ऐसे विशेषज्ञों को राज्य के अंतर्गत विकसित करने के अतिरिक्त उभरते खेल कर्मियों के प्रतिनियोजन को देश में या देश के बाहर आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कॉन्फरेन्स, गोष्ठी, कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे वो अपने क्षेत्र में हो रहे प्रासंगिक विकासों से परिचित रहें। खेल प्रशिक्षकों को अपने कौशल स्तर बढ़ाने के लिए कठोर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा उन्हें इस उद्देश्य से राज्य या देश से बाहर भी प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

खेलों के लिए श्रोत संघटन :

27. झारखण्ड में खेल की प्रोन्नति की राह में वित्तीय श्रोतों की कमी बहुत बड़ी बाधा है। राज्य में खेल के विकास के लिए जहाँ एक ओर झारखण्ड सरकार बजट प्रावधान में वृद्धि करेगी वहीं दूसरी ओर कॉरपोरेट संसार से धन जुटाने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। तद्नुसार कॉरपोरेट घरानों से कुछ खेलों एवं खिलाड़ियों को लम्बे समय तक अपनाने एवं समर्थन देने के लिए सम्पर्क एवं प्रोत्साहित किया जायेगा। विभिन्न खेलों के लिए आर्थिक एवं भौतिक श्रोत का संघटन संबंधित खेल संघों और कॉरपोरेट घरानों के सहयोग से किया जा सकता है। उदार आर्थिक नीति के संदर्भ में, निजी/कॉरपोरेट प्रक्षेत्र को खेल के विकास में सामान्य रूप से तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधार पर खेल अंतः संरचना की स्थापना एवं पोषण हेतु विशेष रूप से शामिल किया जायेगा। इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की जायेगी। स्थापित मूर्धन्य प्रतिभायुक्त खिलाड़ियों को खेल अकादमियों के गठन एवं संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

जन सम्पर्क माध्यम :

28. खेलों को लोकप्रिय एवं सर्वव्यापी बनाने में जन सम्पर्क माध्यमों की केन्द्रीय भूमिका है। इलेक्ट्रोनिक माध्यम, राष्ट्रीय प्रसारकों सहित, निजी पैनल तथा प्रिंट मीडिया को राज्य में खेल संस्कृति के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयुक्त रूप से उत्प्रेरित किया जायेगा।

29. खेल आयोजनों के टेलीविजन प्रसारण अधिकार की बिक्री से यदि राजस्व की उगाही होती हो तो उनका बटवारा संबंधित खेल संघों तथा प्रसारण अभिकरणों, चाहे वो सरकारी हों अथवा निजी, के बीच समुचित एवं व्यवस्थित रूप से एवं पारस्परिक सहमति से होगा।

संस्थागत ढांचा :

30. नीति में पूर्ववर्णित लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सक्षम, लचीले एवं उद्योश्योन्मुख संस्थागत ढांचा का निर्माण आवश्यक है जो सरकार के अंगों के अतिरिक्त खेलों से जुड़ी संस्थाओं, व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों को साथ लेकर योजनाबद्ध एवं वैज्ञानिक नीति से कार्य करे, निजी क्षेत्र एवं समाज से अवदान जुटाये एवं सभी को दिशा एवं मार्ग निदेश दें। इस निमित्त राज्य में खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है जो राज्य में खेल क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था होगी एवं क्षेत्रीय गतिविधियों को एक आकार एवं ढांचा प्रदान करेगी, प्राथमिकताएँ तय करेगी, साधन जुटायेगी और समाज के प्रत्येक तबकों से इस निमित्त सहयोग प्राप्त करेगा । झारखण्ड खेल प्राधिकरण में राज्य के वरीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ी एवं खेल के विकास में लगी संस्थाओं/संगठनों संघों के प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे ताकि सरकार एवं खेल संघों में तारतम्य कायम रहे।

(525) 38

भविष्य :

31. झारखण्ड खेल नीतिः 2007 को इस नये राज्य के अत्यंत उज्ज्वल भविष्य की प्रबल प्रत्याशा में तैयार किया गया है । यह निरसंदेह झारखण्ड के उन नये रास्तों को दिखाता है, जिनपर झारखण्ड को चलना है। इस नीति को शाब्दिक एवं भावरूप में कार्यान्वित करने के सामूहिक वचन का हम संकल्प लेते हैं।

32. झारखण्ड खेल नीतिः 2007 की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी, जिससे इसमें आवश्यकतानुसार खेल के क्षेत्र में होने वाले प्रौद्यौगिक अथवा अन्य विकासों के अनुरूप परिवर्तन या रूपांतरण किये जा सकें।

33. इस खेल नीति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

34. इसमें मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी प्रमंडलों के आयुक्तों/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्तों/सभी खेल संघों को भी प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

12.9.07

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 1709 **राँची, दिनांक** 12.9.07

प्रतिलिपि : सरकारी मुद्रणालय, डोरण्डा को सूचना तथा आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 50 अतिरिक्त प्रतियां विभाग को भी हस्तगत कराई जाय।

12.9.07

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 1709 **राँची, दिनांक** 12.9.07

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, मंत्रालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कचहरी परिसर, राँची को सूचना तथा आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

12.9.07

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 1709 **राँची, दिनांक** 12.9.07

प्रतिलिपि : झारखण्ड सरकार के सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त/सभी खेल संघ तथा सभी संबंधित पदाधिकारी//कर्मचारियों को सूचना तथा आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

12.9.07

सरकार के सचिव।